

क्रमांक:- 8497-09

दिनांक:- 18/09/25

EXPRESSION OF INTEREST (E.O.I)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सभी औद्योगिक ईकाईयों, संस्थाएँ एवं अन्य प्रतिष्ठानों को ग्राम अग्यारा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उपलब्ध (B.O.D.=10mg/l से कम) शोधित जल को राज्य सरकार द्वारा जारी State Sewerage & Waste Water Policy 2016 व Action plan for Reuse of Treated Waste Water in Rajasthan 2019 के अनुसार Reuse हेतु विक्रय किया जाना है। ग्राम अग्यारा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 01 एमएलडी शोधित जल हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है। शोधित जल को लेने हेतु संबंधित औद्योगिक ईकाई, संस्था एवं अन्य प्रतिष्ठान को ग्राम अग्यारा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अपने प्रतिष्ठान तक स्वयं के व्यय पर पाईपलाईन या स्वयं के संसाधन द्वारा उपयोग में लिया जाना होगा। इच्छुक औद्योगिक ईकाई, संस्था एवं अन्य प्रतिष्ठान दिनांक 02.10.2025 तक की अवधि में अपना प्रस्ताव मय शोधित जल की मात्रा, शोधित जल का प्रस्तावित उपयोग एवं प्रस्तावित दर प्रति किलोलीटर सहित न्यास कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ईओआई को वेबसाइट <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है।

सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर

दिनांक:- 18/09/25

क्रमांक:- 8497-09

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदया, अलवर।
2. आयुक्त, नगर निगम, अलवर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर।
4. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, देहली रोड, अलवर।
5. महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, अलवर।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, अलवर।
7. उपमुख्य निरीक्षक, फेक्ट्रीज एवं बॉयलर्स, शॉन्ति कुंज अलवर।
8. अध्यक्षक, मत्स्य उद्योग संघ, संघ भवन रोड नं० 2 एम0आई0ए0, अलवर।
9. अध्यक्षक, लघु उद्योग भारती ईटाराना रोड, अलवर।
10. अध्यक्षक, मत्स्य मिनरल उद्योग संस्थान, एफ-112, एम0आई0ए0, अलवर।
11. वरि० लेखाधिकारी, न्यास अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त E.O.I एक राष्ट्रीय स्तरीय अखबार व दो राज्य स्तरीय अखबार में 1/4 स्पेस में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

12. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Snehal Nana
Dhaygude
Designation : Secretary
Date: 2025.09.17 18:50:10 IST
Reason: राजस्थान सरकार, अलवर



RajKaj Ref No.:
17839884